



भारत का राजपत्र The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 4116]

नई दिल्ली, मंगलवार, दिसम्बर 24, 2019/पौष 3, 1941

No. 4116]

NEW DELHI, TUESDAY, DECEMBER 24, 2019/PAUSA 3, 1941

रेल मंत्रालय

[उत्तर पश्चिम रेलवे (निर्माण)]

अधिसूचना

जयपुर, 17 दिसम्बर, 2019

का.आ. 4599(अ).—केंद्रीय सरकार, रेल अधिनियम 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया) की धारा 20क के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात की लोक प्रयोजन के लिए उक्त भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, राजस्थान राज्य के सीकर जिले में विशेष रेल परियोजना **जयपुर - रींगस - चुरू एवं सीकर - लोहारू** आमान परिवर्तन परियोजना के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन, और प्रचालन के लिए अपेक्षित है, का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा।

प्रत्येक ऐसा आक्षेप भूमि अवाप्ति अधिकारी अर्थात् विशेष रेल परियोजना उप-खंड अधिकारी श्रीमाधोपुर, मु० - सीकर जिला - सीकर (राजस्थान) को लिखित में किया जाएगा और उसमें उसके आधार उपवर्णित करेगा और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और सभी ऐसे आक्षेपों की सुनवाई करने और ऐसी और जांच करने के पश्चात, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा, या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (2) के अधीन प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा।

इस सूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेखांकन और भूमि के अन्य व्यौरे उपलब्ध है और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उपर्युक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

राजस्थान राज्य में विशेष रेल परियोजना अर्थात् जयपुर – रींगस - चुरू एवं सीकर – लोहारू आमान परिवर्तन परियोजना के लिए जिला सीकर में अर्जित की जाने वाली संरचना सहित या उसके रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण :-

जिला का नाम :- सीकर

तहसील का नाम :- श्रीमाधोपुर

स्टेशन का नाम :- छोटा गुढा

क्र० सं०	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा संख्या	आवात किया जाने वाला रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार
1	श्रीमाधोपुर	सरगोठ	2459	0.05	बारानी 3
2	श्रीमाधोपुर	सरगोठ	2460	0.24	बंजड़पुला
कुल योग				0.29	

[फा. सं. DY. CE/C/JP/543379752]

सी० एल० मीना, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

MINISTRY OF RAILWAY

[North Western Railway (Construction)]

NOTIFICATION

Jaipur the 17th December, 2019

S.O. 4599(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 20A of the Railway Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which has given in the Schedule annexed hereto, is required for execution of the Special Railway Project, Namely: **Gauge Conversion of Jaipur – Ringas – Churu and Sikar - Loharu** in the **District - Sikar** of the State of **Rajasthan**, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within a period of Thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 20D of the said Act.

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, **Sub Divisional Officer, Shrimadhopur, Hq.- Sikar** in writing and shall set out the grounds thereof, and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of Section 20D of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, for Special Railway Project, Namely: **Jaipur – Ringas – Churu and Sikar – Loharu Gauge conversion project** in the State of **Rajasthan**.

Name of District: - **Sikar**.

Name of Tehsil :- **Shrimadhampur**.

Name of station :- **Chhota Gudha**

S.N	Name of Tehsil	Name of Village	Khasra No.	Area in (Hect.)	Type of land
1	Shrimadhampur	Sargoth	2459	0.05	Barani 3
2	Shrimadhampur	Sargoth	2460	0.24	Banjad pula
Total				0.29	

[F. No. DY. CE/C/JP/543379752]

C. L. MEENA, Chief Administrative Officer (Construction)

अधिसूचना

जयपुर, 17 दिसम्बर, 2019

का. आ. 4600(अ).—केंद्रीय सरकार, रेल अधिनियम 1989 (1989 का 24) (जिसे इसमें इसके पश्चात उक्त अधिनियम कहा गया) की धारा 20क के खंड (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने के पश्चात की लोक प्रयोजन के लिए उक्त भूमि, जिसका संक्षिप्त विवरण इससे उपाबद्ध अनुसूची में दिया गया है, राजस्थान राज्य के जयपुर जिले में विशेष रेल परियोजना **जयपुर – रींगस - चुरू एवं सीकर – लोहारू** आमान परिवर्तन परियोजना के निष्पादन, अनुरक्षण, प्रबंधन, और प्रचालन के लिए अपेक्षित है, का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा करती है।

उक्त भूमि में हितबद्ध कोई व्यक्ति, राजपत्र में इस अधिसूचना के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन के भीतर, उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (1) के अधीन पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि के अर्जन और उपयोग के संबंध में आक्षेप कर सकेगा।

प्रत्येक ऐसा आक्षेप भूमि अवाप्ति अधिकारी अर्थात् विशेष रेल परियोजना उप-खंड अधिकारी चौमूं, मु० - जयपुर जिला - जयपुर (राजस्थान) को लिखित में किया जाएगा और उसमें उसके आधार उपवर्णित करेगा और सक्षम प्राधिकारी आक्षेपकर्ता को व्यक्तिगत रूप से या विधि व्यवसायी के माध्यम से सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा और सभी ऐसे आक्षेपों की सुनवाई करने और ऐसी और जांच करने के पश्चात, यदि कोई हो, जिसे सक्षम प्राधिकारी आवश्यक समझे, आदेश द्वारा, या तो आक्षेपों को अनुज्ञात कर सकेगा या अननुज्ञात कर सकेगा।

उक्त अधिनियम की धारा 20घ की उप-धारा (2) के अधीन प्राधिकारी द्वारा किया गया कोई आदेश अंतिम होगा।

इस सूचना के अधीन आने वाली भूमि का रेखांकन और भूमि के अन्य व्यौरे उपलब्ध है और हितबद्ध व्यक्ति द्वारा सक्षम प्राधिकारी के उपर्युक्त कार्यालय में उनका निरीक्षण किया जा सकता है।

अनुसूची

राजस्थान राज्य में विशेष रेल परियोजना अर्थात् **जयपुर – रींगस - चुरू एवं सीकर – लोहारू आमान परिवर्तन परियोजना** के लिए जिला जयपुर में अर्जित की जाने वाली संरचना सहित या उसके रहित भूमि का संक्षिप्त विवरण :-

जिला का नाम :- जयपुर

तहसील का नाम :- चौमूं

स्टेशन का नाम :- छोटा गुढा

क्र० सं०	तहसील का नाम	ग्राम का नाम	खसरा संख्या	आवास किया जाने वाला रकबा (हेक्टेयर में)	भूमि का प्रकार	भूमि की प्रकृति
1	चौमूं	छोटा गुढा	58	0.0180	बारानी 2	कृषि भूमि
2	चौमूं	छोटा गुढा	59	0.0720	चाही 2	कृषि भूमि

3	चौमूं	छोटा गुढा	60	0.0288	चाही 2 जाव 2	कृषि भूमि
4	चौमूं	छोटा गुढा	83	0.0624	बारानी 3	कृषि भूमि
5	चौमूं	छोटा गुढा	84	0.0648	चाही 2	कृषि भूमि
6	चौमूं	छोटा गुढा	85	0.0080	चाही 2	कृषि भूमि
7	चौमूं	छोटा गुढा	86	0.0180	चाही 2	कृषि भूमि
कुल योग				0.2720		

[फा. सं. DY. CE/C/JP/543379752]]

सी० एल० मीना, मुख्य प्रशासनिक अधिकारी (निर्माण)

NOTIFICATION

Jaipur, the 17th December, 2019

S.O. 4600(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (1) of Section 20A of the Railway Act, 1989 (24 of 1989) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government, after being satisfied that for the public purpose, the land, the brief description of which has given in the Schedule annexed hereto, is required for execution of the Special Railway Project, Namely: **Gauge Conversion of Jaipur – Ringas – Churu and Sikar - Loharu** in the **District - Jaipur** of the State of **Rajasthan**, hereby declares its intention to acquire such land.

Any person interested in the said land may, within a period of Thirty days from the date of publication of this notification in the Official Gazette, raise objection to the acquisition and use of such land for the aforesaid purpose under sub-section (1) of section 20D of the said Act.

Every such objection shall be made to the competent authority, namely, **Sub Divisional Officer, Chomun, Hq.- Jaipur** in writing and shall set out the grounds thereof, and the competent authority shall give the objector an opportunity of being heard, either in person or by legal practitioner and may, after hearing all such objections and after making such further enquiry, if any, as the competent authority thinks necessary, by order, either allow or disallow the objections.

Any order made by the competent authority under sub-section (2) of Section 20D of the said Act shall be final.

The land plans and other details of the land covered under this notification are available and can be inspected by the interested person at the aforesaid office of the competent authority.

SCHEDULE

Brief description of the land to be acquired, with or without structure, for Special Railway Project, Namely: **Jaipur – Ringas – Churu and Sikar – Loharu Gauge conversion project** in the State of **Rajasthan**.

Name of District: - **Jaipur**.Name of Tehsil :- **Chomun**.Name of station :- **Chhota Gudha**

S.N	Name of Tehsil	Name of Village	Khasra No.	Area in (Hect.)	Type of land	Nature of Land
1	Chomun	Chhota Gudha	58	0.0180	Barani 2	Irrigated

2	Chomun	Chhota Gudha	59	0.0720	Chahi 2	Irrigated
3	Chomun	Chhota Gudha	60	0.0288	Chahi 2 Jav 2	Irrigated
4	Chomun	Chhota Gudha	83	0.0624	Barani 3	Irrigated
5	Chomun	Chhota Gudha	84	0.0648	Chahi 2	Irrigated
6	Chomun	Chhota Gudha	85	0.0080	Chahi 2	Irrigated
7	Chomun	Chhota Gudha	86	0.0180	Chahi 2	Irrigated
Total				0.2720		

[F. No. DY. CE/C/JP/543379752]

C. L. MEENA, Chief Administrative Officer (Construction)